VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

WEEKLY FOCUS
#72, AUG 2022

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSMEs): भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार

परिचय

MSME क्षेत्रक पिछले पांच दशकों में भारतीय अर्थव्यवस्था के अत्यधिक प्रभावी और गतिशील क्षेत्र के रूप में उभरा है। इस क्षेत्रक का देश के आर्थिक और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हालांकि, वैश्विक महामारी के कारण यह सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में से भी एक था।

ज्ञातव्य है कि भारत सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपये के कोविड–रिस्पॉन्स पैकेज की घोषणा की थी। इसके बावजूद लॉकडाउन के कारण देश के हजारों MSMEs बंद रहे थे। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2021 में भारत में दो–तिहाई MSMEs तीन महीने या उससे भी अधिक समय के लिए बंद रहे थे। साथ ही, आधे से अधिक MSMEs के राजस्व में 25 प्रतिशत से अधिक की गिरावट भी देखी गई थी।

इस वैश्विक महामारी के प्रभाव ने MSME क्षेत्रक के महत्व और उसकी कमजोरियों को उजागर किया है। इसने कुछ प्रश्नों की गहन जांच की आवश्यकता पर बल दिया है, जैसे– MSMEs क्या हैं और उनकी क्या भूमिका है? भारत में MSMEs को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? MSMEs को बढ़ावा देने के लिए सरकार की क्या हालिया पहलें हैं? MSME क्षेत्रक को और अधिक सक्षम व सशक्त बनाने के लिए और क्या किया जा सकता है, इत्यादि?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (Micro, Small & Medium Enterprises: MSMEs) क्या हैं?

MSMEs को संयंत्र और मशीनरी में निवेश तथा वार्षिक कारोबार (टर्नओवर) के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। यह वर्गीकरण **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास** (MSMED) अधिनियम, 2006 पर आधारित है।

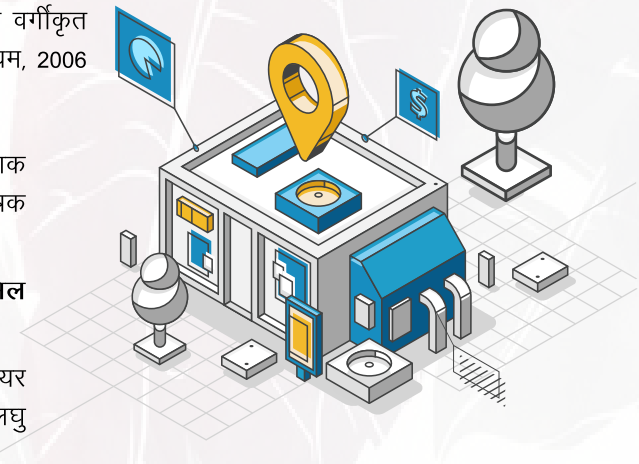

- भारत में स्वतंत्रता के बाद से MSMEs काफी विकसित हुए हैं। 1960 और 70 के दशक में, इन्हें केवल लघु स्तर के उद्योग (SSI) कहा जाता था। आगामी वर्षों में MSME क्षेत्रक ने व्यावसायिक गतिविधियों के पैमाने और विस्तार में प्रगति की है।
- भारत में, MSMEs के तहत **'पारंपरिक' और 'आधुनिक' दोनों लघु उद्योग शामिल हैं।**
- **लघु उद्योगों को आठ उप–समूहों में बांटा गया है:** हथकरघा, हस्तशिल्प, कॉयर (नारियल का रेशा, जिससे रस्सियां आदि बनती हैं), रेशम उत्पादन, खादी, ग्रामोद्योग, लघु उद्योग तथा पावरलूम।

समग्र मानदंड: निवेश और वार्षिक टर्नओवर के आधार पर

वर्गीकरण	सूक्ष्म (Micro)	लघु (Small)	मध्यम (Medium)
विनिर्माण और सेवा	**1 करोड़ रुपये** से कम के निवेश और 5 करोड़ रुपये से कम वार्षिक **टर्नओवर** वाले उद्यम।	**10** करोड़ रुपये से कम के निवेश और **50 करोड़** रुपये से कम वार्षिक टर्नओवर वाले उद्यम।	**20 करोड़ रुपये** से कम के निवेश और 100 करोड़ रुपये से कम वार्षिक **टर्नओवर** वाले उद्यम।

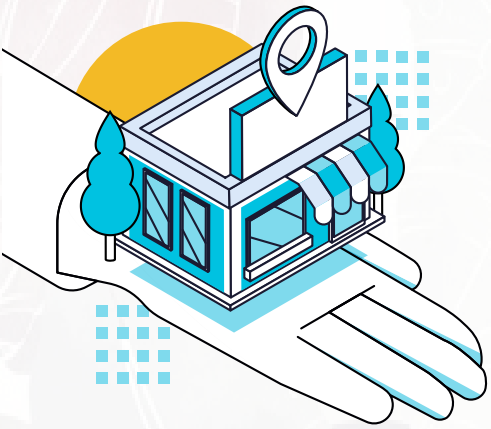

लघु और मध्यम उद्यम (SME) क्षेत्रक में विश्वव्यापी रुझान

- **आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) के देश:** इन देशों में लगभग 99% कंपनियां SMEs हैं। ये कुल रोजगार में 70% और सकल घरेलू उत्पाद में 50% का योगदान करती हैं।
- **आसियान** (ASEAN): इन देशों में SMEs कुल रोजगार में 52%-97% और सकल घरेलू उत्पाद में 30%-53% का योगदान करती हैं।
- **चीन:** इसके कुल निर्यात में SMEs का हिस्सा 68% से अधिक है।

भारत के MSMEs की स्थिति

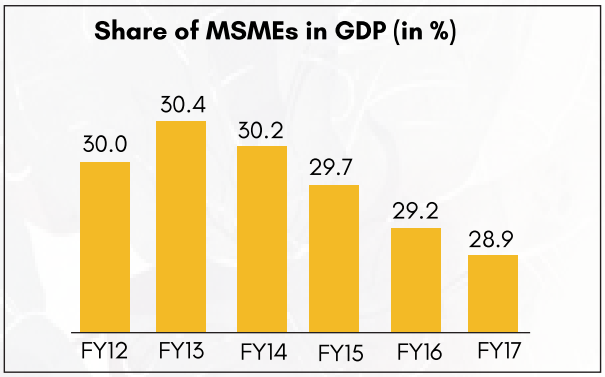

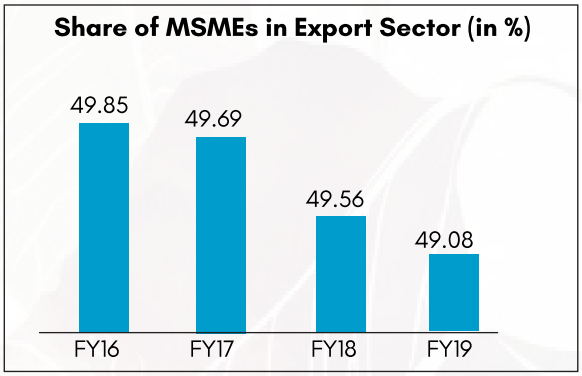

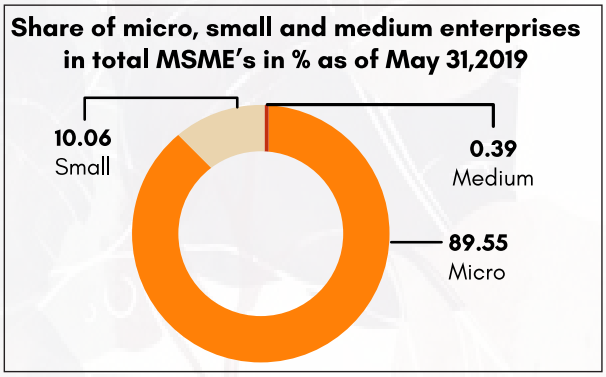

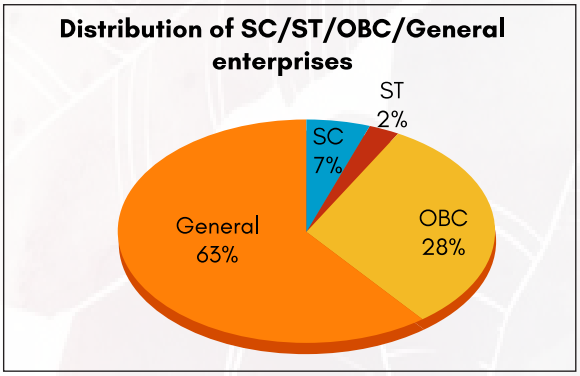

भारत के विकास के लिए MSMEs महत्वपूर्ण क्यों हैं?

- **उद्यमिता के इंजन के रूप में कार्य करना:** उल्लेखनीय है कि MSMEs में सीमित पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है। इसमें जोखिम कम होता है। साथ ही, इसमें नौकरशाही के कारण विलंब भी नहीं होता है। इसलिए MSMEs से जुड़े बिज़नेस आइडियाज़ में स्वदेशी कौशल और जमीनी स्तर के नवाचारों को शामिल किया जा सकता है।
  - इसके अतिरिक्त, इनका आकार भी छोटा होता है। इससे ये त्वरित निर्णय ले सकते हैं और नए आर्थिक अवसरों का लाभ उठा सकते हैं।
- **आर्थिक आपूर्ति श्रृंखला को पूरा करना:** MSMEs सहायक इकाइयों के रूप में बड़े उद्योगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। ये स्थानीय अंतराल को पाटते हुए **मूल्य श्रृंखला का एक अभिन्न अंग** बन जाते हैं।
  - उदाहरण के लिए, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (BHEL) जैसे बड़े संयंत्रों के आस–पास कई MSMEs अस्तित्व में आए हैं। इनका ध्यान BHEL की दैनिक और बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने पर केंद्रित है।
- **विकास के अवसरों को समान रूप से वितरित करना:** MSME इकाइयां ग्रामीण क्षेत्रों में गैर–कृषि गतिविधियों की व्यापक श्रृंखला के तहत आय के कई स्रोत प्रदान करती हैं। इनके अंतर्गत MSME इकाइयां ग्रामीण क्षेत्रों में, विशेष रूप से, पारंपरिक कारीगरों और समाज के कमजोर वर्गों को रोजगार के अवसर प्रदान करती हैं।
  - इससे ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर प्रवास की प्रवृत्ति में भी कमी आती है।
- **रोजगार सृजन द्वारा समावेशी विकास को प्रोत्साहित करना:** MSME, कृषि के बाद रोज़गार देने वाला दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। इसलिए, इसे अधिक श्रम गहन और कम पूंजी गहन माना जाता है।
  - इस प्रकार MSMEs वंचित वर्गों को लाभकारी रोजगार प्रदान करते हैं। साथ ही, ये अन्य सामाजिक–आर्थिक पहलुओं में भी योगदान करते हैं जैसे– आय असमानता व गरीबी में कमी और स्वास्थ्य, शिक्षा आदि में सुधार करने में।
- **नए स्थानीय और कुशल परिवेश का निर्माण:** MSMEs स्थानीय रूप से उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करते हैं। ये संसाधन अधिक लागत प्रभावी तथा पर्यावरण की दृष्टि से कुशल होते हैं। साथ ही, ये आर्थिक परिवेश को एक विशिष्ट और स्थानीय रूप देते हैं। उदाहरण के लिए, नागालैंड के चिजामी गांव ने राज्य की पारंपरिक प्रथाओं को केंद्र में रखते हुए आर्थिक विकास का एक अनूठा मॉडल तैयार किया है।
  - ये स्थानीय नेटवर्क समुदाय और जुड़ाव की बढ़ती भावना को दिशा देते हैं। इसके परिणामस्वरूप सभी लोगों के समग्र कल्याण में सुधार होता है।

◇ **सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) को प्राप्त करने में सहायक:** MSMEs स्थानीय रूप से उपलब्ध संसाधनों जैसे सामग्री और श्रम का उपयोग करके उत्पादन करते हैं। ये उत्पाद और प्रक्रियाएं प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से SDGs को प्राप्त करने में मदद करती हैं। इसके कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं:

SDG- 1 (गरीबी उन्मूलन) माइक्रो फ्रेंचाइज़िंग के द्वारा गरीबी दूर करना। उदाहरण के लिए, बांग्लादेश, भारत और नेपाल में ट्रेडल पंप की बिक्री से लघु और सीमांत किसानों को मदद मिली है।	**SDG- 3 (बेहतर स्वास्थ्य और कल्याण)** हीलियम हेल्थ (एक नाइजीरियाई कंपनी) ने स्वास्थ्य रिकॉर्ड और अस्पताल प्रबंधन के लिए एक सॉफ्टवेयर सिस्टम विकसित किया है।	**SDG- 6 (सभी के लिए स्वच्छता)** सॉयल (हैती में स्थित एक गैर-सरकारी संगठन) संधारणीय घरेलू स्वच्छता और पारिस्थितिकी के अनुकूल अपशिष्ट उपचार प्रदान करता है।
SDG- 7 (सभी के लिए ऊर्जा) सिम्पा नेटवर्क्स (इंडिया) आर्थिक रूप से वंचित वर्ग के लिए ऑफ-ग्रिड यूटिलिटीज मॉडल में एक बुनियादी, पोर्टेबल सोलर होम सिस्टम प्रदान करता है।	**SDG- 10 (असमानताओं में कमी लाना)** डिग्निटी किचन (सिंगापुर) एक सामाजिक उद्यम है, जो सामुदायिक फूड कोर्ट चलाता है। इसे दिव्यांग लोगों और सामाजिक रूप से वंचित लोगों द्वारा संचालित किया जाता है।	**SDG- 14 (जल के नीचे जीवन)** EConcrete (इज़रायल) तकनीक बायो-एन्हांसमेंट (जैव-उन्नयन) कंक्रीट प्रदान करती है। यह कंक्रीट समुद्री जीवन को बेहतर रखने के साथ-साथ तटीय और समुद्री विकास परियोजनाओं के इकोलॉजिकल फुटप्रिंट को कम करने में भी मदद करता है।

◇ **प्रौद्योगिकी गहन और तेजी से उभरते क्षेत्रों में बढ़ती भूमिका:** भारतीय MSMEs केवल लघु व्यवसायों तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि वित्तीय प्रौद्योगिकी (फिनटेक), रक्षा विनिर्माण और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में भी तेजी से अपनी उपस्थिति बढ़ा रहे हैं।

एक छोटी सी वार्ता!
क्या MSMEs अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण हैं?

विनी: हेल्लो विनय! मैं कल MSMEs के बारे में पढ़ रही थी। क्या तुम जानते हो कि भारत में लगभग 90% **व्यावसायिक उद्यम** MSMEs हैं?

विनय: यह तो बहुत ज्यादा है।

विनी: लेकिन मुझे लगता है कि MSMEs का हिस्सा अधिक होने से भारत की अर्थव्यवस्था धीमी गति से बढ़ रही है।

विनय: तुम्हें ऐसा क्यों लगता है?

विनी: MSMEs आमतौर पर असंगठित और अनौपचारिक संस्थाएं होती हैं। साथ ही, ये अर्थव्यवस्था के भावी चालक यानी वेब 3.0, अंतरिक्ष आदि जैसे उच्च प्रदर्शन वाले क्षेत्रों में संलग्न नहीं होते हैं।

विनय: नहीं विनी, ऐसा नहीं है। कई MSMEs औपचारिक क्षेत्र में हैं। ये रक्षा, अंतरिक्ष आदि जैसे विभिन्न रणनीतिक क्षेत्रों में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं।

विनी: तुम किस तरह की भूमिका की बात कर रहे हो?

विनय: उदाहरण के लिए-ये न केवल घरेलू मांग को पूरा कर सकते हैं, बल्कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का भी हिस्सा बन सकते हैं।

विनी: लेकिन, शायद भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र तो केवल सार्वजनिक क्षेत्र के लिए ही आरक्षित है।

विनय: ऐसा पहले था, लेकिन जून 2020 में, सरकार ने निजी भागीदारी को अनुमति देने के लिए इस क्षेत्र को खोल दिया है।

विनी: ओह! यह जानकर वाकई बहुत अच्छा लगा। तो, क्या हम आने वाले समय में स्पेस एक्स जैसी किसी भारतीय कंपनी की उम्मीद कर सकते हैं?

विनय: क्यों नहीं। अंतरिक्ष क्षेत्र की कई भारतीय कंपनियां पहले से ही कार्य कर रही हैं, जैसे- अग्निकुल कॉस्मॉस, स्काई रूट एयरोस्पेस, पिक्सेल आदि।

विनी: अच्छा! इनके बारे में और अधिक जानने की कोशिश करूंगी।

MSMEs के सामने कौन–कौन सी चुनौतियां हैं?

संरचनात्मक

- **अवसंरचनात्मक बाधाएं:** दूरदराज के गांवों में स्थित MSMEs को जल, विद्युत की आपूर्ति आदि से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता है। साथ ही, इन्हें एक लागत प्रभावी और कुशल लॉजिस्टिक्स/ आपूर्ति श्रृंखला तक पहुंच सुनिश्चित करने में भी कठिनाई होती है।
  - वहीं दूसरी ओर, शहरों में स्थित MSMEs को भूमि की उच्च लागत का सामना करना पड़ता है। आमतौर पर, औद्योगिक क्षेत्र की सर्कल दर MSMEs उद्यमियों की पहुंच से बाहर होती है।
- **पूंजी तक सीमित पहुंच:** कई MSMEs के पास पूंजी बाजार और वित्तीय संस्थानों से धन उधार लेने के लिए **आवश्यक क्रेडिट योग्यता का अभाव** होता है। इसके परिणामस्वरूप, वे **स्थानीय वित्तीय संसाधनों पर बहुत अधिक निर्भर रहते हैं और अक्सर साहूकारों के शोषण का शिकार होते हैं।**
  - MSME क्षेत्रक को प्राप्त होने वाले ऋण का लगभग **40** प्रतिशत अनौपचारिक क्षेत्र से आता है।
  - MSME इकाइयों को अक्सर कार्यशील पूंजी की कमी का सामना करना पड़ता है। इसका प्रमुख कारण खरीदार द्वारा बकाया भुगतान में की जाने वाली देरी या बिक न सके स्टॉक में उनकी पूंजी का फंस जाना है।
- **आपूर्ति श्रृंखला से संबंधित बाधाएं:** MSMEs की सौदेबाजी की शक्ति उनके द्वारा छोटी मात्रा में की जाने वाली खरीदारी के कारण अपेक्षाकृत कम होती है।
  - इसके अलावा, वे थोक में खरीदने का जोखिम नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि उनके पास सामग्री का भंडारण करने के सीमित विकल्प होते हैं। इसलिए, उन्हें उत्पाद की लागत को नियंत्रित करने और इसकी गुणवत्ता को बनाए रखने के बीच एक संतुलन बनाना पड़ता है।
- **वैश्विक प्रतिस्पर्धा:** MSMEs को बहुराष्ट्रीय कंपनियों से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है, जो अपने आकार और व्यवसाय की मात्रा के मामले में बहुत बड़ी होती हैं। उदाहरण के लिए, खुदरा क्षेत्र की कई MSMEs, अमेज़न के साथ सीधी प्रतिस्पर्धा में आ गई हैं।
- **वंचित वर्गों से संबंधित मुद्दे:** MSMEs के समक्ष आने वाली चुनौतियां तब और बढ़ जाती हैं, जब उद्यम का स्वामित्व महिलाओं, SCs तथा STs जैसे कमजोर वर्गों के पास होता है। यह **प्रणालीगत भेदभाव, रूढ़िवादिता एवं सामाजिक पूर्वाग्रह** के कारण होता है।
  - देश में **महिलाओं के स्वामित्व वाले लगभग 90 प्रतिशत** SMEs **अभी भी पूंजी या ऋण प्राप्त करने हेतु अनौपचारिक स्रोतों** पर ही निर्भर हैं।
- **प्रौद्योगिकी को अपनाने की धीमी गति:** सामान्यतः अधिकांश भारतीय MSMEs अभी भी प्रौद्योगिकी प्रयोग के प्रारंभिक चरण में हैं, विशेष रूप से आईटी क्षेत्र की तकनीक को अपनाने में।
  - उच्च लागत, खराब बुनियादी ढांचा, कुशल मानव संसाधन की कमी आदि प्रौद्योगिकी को अपनाने में प्रमुख बाधाएं हैं।

- **कानूनों के अनुपालन संबंधी चुनौतियां:** MSMEs को कराधान, श्रम कानूनों और पर्यावरण संबंधी कानूनों के अनुपालन में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

परिचालन संबंधी

- **सीमित प्रबंधकीय संसाधन:** MSMEs को आम तौर पर एक ही व्यक्ति द्वारा प्रचारित और संचालित किया जाता है। स्पष्ट है कि किसी एक व्यक्ति के पास ही व्यवसाय को कुशलतापूर्वक चलाने के लिए आवश्यक सभी प्रबंधकीय कौशल नहीं हो सकते हैं।
  - उदाहरण के लिए, कई MSMEs अपनी निर्यात क्षमता का दोहन केवल इसलिए नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि ये निर्यात शर्तों के प्रबंधन में सक्षम नहीं हैं।
- **विपणन:** MSMEs को बिचौलियों पर अत्यधिक निर्भर रहना पड़ता है, जो कभी–कभी उत्पादों की कम कीमत देकर एवं भुगतान में देरी करके उनका शोषण करते हैं। इसके अलावा, छोटी व्यावसायिक कंपनियों के लिए प्रत्यक्ष विपणन संभव नहीं है, क्योंकि उनके पास इसके लिए ज़रूरी बुनियादी ढांचे का अभाव होता है।
  - फिक्की (FICCI) की एक रिपोर्ट के अनुसार, **6 प्रतिशत से भी कम भारतीय** MSMEs **पर्सनल कंप्यूटर का उपयोग करते हैं एवं ऑनलाइन प्रचार कर पाते हैं।** इनमें से अधिकांश MSMEs उद्यम पारंपरिक मीडिया का उपयोग करते हैं।
- **क्षमता का अकुशल उपयोग:** विपणन संबंधी कौशल की कमी या मांग में कमी के कारण, कई कंपनियों को अपनी पूरी क्षमता से कम क्षमता पर कार्य करना पड़ता है। इससे परिचालन लागत बढ़ जाती है। परिणामस्वरूप, वे धीरे–धीरे आर्थिक रूप से कमज़ोर हो जाते हैं और व्यवसाय बंद हो जाता है।

- **खराब गुणवत्ता वाले उत्पाद:** कई MSMEs गुणवत्ता के अनिवार्य मानकों का पालन नहीं करते हैं। इसकी बजाय वे लाभ के लिए लागत में कटौती और कीमतों को कम रखने पर निर्भर रहते हैं।
  - गुणवत्ता हेतु अनुसंधान कार्य एवं उद्योगों के लिए निर्धारित मानकों के पालन में निवेश हेतु संसाधन अपर्याप्त हैं। इससे यह समस्या और भी बढ़ जाती है।

MSMEs के लिए भारत सरकार की क्या हालिया पहलें हैं?

- **समग्र प्रदर्शन और गुणवत्ता में सुधार करना:**
  - **MSMEs के प्रदर्शन को बेहतर और तेज़ करना** (Raising and Accelerating MSME Performance: RAMP): यह विश्व बैंक से सहायता प्राप्त एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। यह MSMEs के लिए आरंभ की गई अलग-अलग कोविड प्रतिरोधी और रिकवरी संबंधी उपायों का समर्थन करती है।
    - **उद्देश्य-**
    - बाजार और ऋण तक पहुंच में सुधार करना,
    - केंद्र और राज्यों की संस्थाओं और शासन को मजबूत करना,
    - केंद्र-राज्य संबंधों और उनके बीच साझेदारी में सुधार करना,
    - भुगतान में देरी से संबंधित समस्याओं का समाधान करना और
    - MSMEs क्षेत्र को पर्यावरण अनुकूल बनाना।
  - **ZED सर्टिफिकेशन स्कीम:** संशोधित जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट (ZED) सर्टिफिकेशन स्कीम का उद्देश्य भारतीय व्यवसायों को वैश्विक रूप से अधिक प्रतिस्पर्धी तथा पूंजी तक उनकी पहुंच को सुविधाजनक बनाना है। साथ ही, यह MSMEs को पर्यावरण के प्रति जागरूक भी बनाएगी।
- **वित्त तक पहुंच सुनिश्चित करने हेतु:**
  - **ऋण सुविधा:** बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) को 100% गारंटी कवरेज प्रदान करने के लिए आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ECLGS) शुरू की गई थी। इससे वे व्यावसायिक संस्थाओं / MSMEs की अतिरिक्त टर्म लोन या अतिरिक्त कार्यशील पूंजी संबंधी आवश्यकता को पूरा करने के लिए उन्हें आपातकालीन ऋण सुविधाएं प्रदान कर सकेंगे।
  - **59 मिनट लोन पोर्टल:** इस पोर्टल के माध्यम से मात्र 59 मिनट में एक करोड़ रुपये तक के ऋण को सैद्धांतिक मंजूरी दी जा सकती है।
- **बाजारों तक पहुंच सुनिश्चित करने हेतु:**
  - **सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSEs) द्वारा खरीद:** सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को अनिवार्य रूप से अपनी कुल खरीद का 25% MSMEs से खरीदना होता है। इसके अतिरिक्त, इस 25% अनिवार्य खरीद में से 3% खरीद महिला उद्यमियों वाले MSMEs से करनी अनिवार्य की गई है।
  - **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग योजना:** यह MSMEs को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इसके तहत सहायता मुख्यतः हवाई किराया, स्थान के किराए, माल ढुलाई शुल्क, विज्ञापन और प्रचार शुल्क तथा प्रवेश/ पंजीकरण शुल्क की भरपाई के आधार पर की जाती है।
  - **विपणन सहायता योजना:** विदेशों में प्रदर्शनियों के आयोजन और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों/ ट्रेड फेयर्स में भाग लेने के लिए MSMEs को सहायता दी जाती है। इसके अतिरिक्त, अन्य संगठनों/ उद्योग संघों/ एजेंसियों द्वारा आयोजित प्रदर्शनियों के सह-प्रायोजन आदि के लिए भी MSMEs को सहायता दी जाती है।
- **प्रौद्योगिकी उन्नयन (अपग्रडेशन):**
  - **टूल रूम:** मौजूदा केंद्रों को अपग्रेड करने के साथ-साथ कई नए टूल रूम स्थापित किए जा रहे हैं। इनका लक्ष्य MSMEs को उनकी प्रौद्योगिकी के अपग्रडेशन में सहायता करना है। साथ ही, भारत को एक विनिर्माण हब बनाने के लिए आवश्यक कुशल श्रम शक्ति को तैयार करना भी इसका लक्ष्य है।
  - **प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी योजना:** इस योजना का उद्देश्य MSMEs क्षेत्र में प्रौद्योगिकी उन्नयन की सुविधा प्रदान करना है।
    - इसके तहत स्वीकृत **51** उप-क्षेत्रों/ उत्पादों में सुस्थापित और बेहतर प्रौद्योगिकी को शामिल करने के लिए **15** प्रतिशत की अग्रिम कैपिटल सब्सिडी प्रदान की जाएगी। यह सब्सिडी संस्थाओं द्वारा प्राप्त **1** करोड़ रुपये तक के संस्थागत वित्त पर दी जाएगी।
- **ईज ऑफ डूइंग बिजनेस:**
  - **यादृच्छिक तरीके** (Randomized) **से निरीक्षण:** जिन प्रतिष्ठानों का निरिक्षण किया जाना है, उनका निर्णय कम्प्यूटर के ज़रिए यादृच्छिक तरीके से किया जाएगा।
  - **मंजूरी और प्रमाणन:** किसी इकाई को स्थापित करने के लिए उद्यमी को दो मंजूरियों की आवश्यकता होती है। इसमें **'पर्यावरण मंजूरी' और 'स्थापित करने की सहमति'** शामिल हैं। वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण कानूनों के तहत अब इन दोनों को एक सहमति के रूप में मिला दिया गया है।
    - इसके अतिरिक्त, रिटर्न को स्व-प्रमाणन के माध्यम से स्वीकार किया जाता है।

MSMEs को और अधिक सशक्त एवं सक्षम बनाने के लिए क्या किया जा सकता है?

- **क्लस्टर आधारित विकास को प्रोत्साहित करना:** MSME क्लस्टर वस्तुतः बुनियादी ढांचे की बाधाओं और कच्चे माल से संबंधित चुनौतियों को नियंत्रित करके दुनिया भर में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने में प्रभावी रहे हैं। क्लस्टर की अलग-अलग छोटी फर्में विभिन्न व्यावसायिक प्रक्रियाओं (जैसे- विनिर्माण, प्रौद्योगिकी, विपणन, गुणवत्ता नियंत्रण, परीक्षण, खरीद आदि) के लिए सहयोग करते हुए संसाधनों को साझा करती हैं।
- **अनुकूल विनियामक पारितंत्र का निर्माण:**
  - **अनुपालन आवश्यकताओं को सुगम बनाना:** सरकार को MSMEs के सामने आने वाली चुनौतियों के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। इसके अलावा, वन-साइज़-फिट्स-आल (One-Size-Fits-All) दृष्टिकोण अपनाने की बजाय विभिन्न आकारों की फर्मों को ध्यान में रखते हुए कानूनों और मानकों का चयन करना चाहिए।
  - **क्षेत्रों के लिए डेटा तैयार करना:** अनौपचारिक क्षेत्र में संलग्न छोटे व्यवसायों पर कोविड-19 के प्रभाव का आकलन करने के लिए अभी तक कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है। MSMEs उद्यमों के सामने आ रही समस्याओं की गंभीरता को समझने के लिए अनौपचारिक क्षेत्र के नुकसान का आकलन करना आवश्यक है।
- **वित्तीय और प्रबंधकीय सहायता:**
  - **नकदी प्रवाह-आधारित ऋण:** वित्तीय संस्थानों द्वारा वैकल्पिक डेटा स्रोतों के माध्यम से MSMEs को ऋण प्रदान करना चाहिए। इन डेटा स्रोतों में UPI लेन-देन, आयकर रिटर्न, GST रिटर्न, बैंक स्टेटमेंट, CIBIL स्कोर, पॉइंट-ऑफ-सेल डेटा एवं अन्य शामिल हो सकते हैं।
    - नकदी प्रवाह-आधारित ऋण आम तौर पर किसी **व्यवसाय में परिचालन संबंधी खर्चों के प्रबंधन के संबंध में अल्पावधि हेतु आवश्यक कार्यशील पूंजीगत ऋण होते हैं,** जैसे- किराया, वेतन, कच्चे माल की खरीद आदि।
  - अवसंरचना वित्त कंपनियों (IFCs) या सूक्ष्म वित्त कंपनियों की तर्ज पर देश में SME **वित्त कंपनियों की स्थापना करनी चाहिए।** ये कंपनियां वास्तव में आर्थिक गतिविधियों में संलग्न नहीं होंगी, बल्कि SMEs के वित्तपोषण में मदद करेंगी।
  - **स्वैच्छिक प्रबंधन प्रशिक्षण:** बड़ी कंपनियों की तुलना में छोटी फर्में प्रबंधकों के साथ-साथ सभी श्रेणी के श्रमिकों को कम ही बाहरी प्रशिक्षण प्रदान कराती हैं। इसलिए, MSMEs के प्रबंधकों के साथ-साथ सभी श्रेणी के श्रमिकों को स्वैच्छिक बाहरी प्रशिक्षण प्रदान करने से विफलता दर में काफी कमी आ सकती है।
- **विपणन संबंधी सहायता:**
  - **नवाचार के विपणन पक्ष को सुगम बनाना** तथा MSMEs को 'B2B' और 'B2C' ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस में शामिल करने में मदद करना।
  - नवोन्मेषी उत्पादों हेतु भारतीय और बाह्य बाजारों से संबंधित **सूचनाओं तक पहुंच** प्रदान करने के लिए देश भर में मौजूद **प्रौद्योगिकी केंद्रों** (TCs) का उपयोग करना।
  - MSMEs को **पूर्ण और कम लागत वाले संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी** (ICT) **समाधान हेतु सुविधा प्रदान करना।**
  - **'कंसोर्टिया फॉर्मेशन', 'ब्रांड बिल्डिंग' तथा 'विशेषीकृत MSMEs पोर्टल्स की सहायता से ई-मार्केटिंग'** जैसी योजनाओं को मजबूत बनाना।
  - MSMEs निर्यात संवर्धन परिषद को मजबूत बनाना।

MSMEs – भारतीय रक्षा क्षेत्र के लिए अप्रयुक्त एक प्रभावी कारक

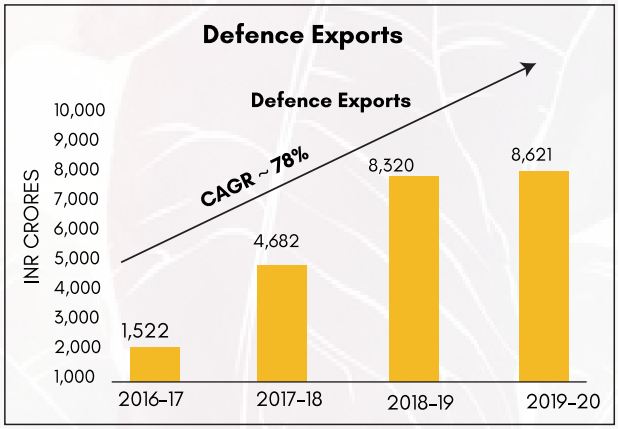

- भारत ने **वित्त वर्ष 2024 तक 35,000 करोड़ रुपये की रक्षा सामग्री के निर्यात का महत्वाकांक्षी लक्ष्य** रखा है।
- रक्षा मंत्रालय (MoD) ने अगले **03 वर्षों में 16,000 से अधिक MSMEs के साथ जुड़ने** का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके द्वारा रक्षा क्षेत्र का अधिक से अधिक स्वदेशीकरण सुनिश्चित करने हेतु लगातार कदम उठाए जा रहे हैं।

इस क्षमता का दोहन करने के लिए आरंभ की गई प्रमुख पहलें

- **रक्षा खरीद प्रक्रिया** (DPP), 2016 ने खरीद की नई श्रेणियां शुरू की हैं, जैसे- **स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और विनिर्मित** (Indigenously Designed Developed and Manufactured: IDDM), **मैक-I और मैक-II** की खरीद। इसका उद्देश्य 'मेक इन इंडिया' पहल में सहयोग करना और MSMEs के समावेशन को सुनिश्चित करना है (तालिका देखें)।
- रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया (Defence Acquisition Process: DAP) 2020 में **MSMEs के लिए प्रति वर्ष 100 करोड़ रुपये तक की खरीद के आदेश आरक्षित किए गए हैं।**
- **रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार** (iDeX) को वर्ष 2018 में MSMEs, स्टार्टअप्स तथा व्यक्तिगत नवप्रवर्तकों को फंडिंग करने के लिए लॉन्च किया गया था।

- **प्रौद्योगिकी अपनाने हेतु प्रोत्साहित करना:** MSMEs द्वारा प्रौद्योगिकी को अपनाने से उनका **कार्य आसान होगा और उनके प्रदर्शन में सुधार होगा।** इससे उनकी वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता में भी वृद्धि होगी।
  - उदाहरण के लिए, Alignbooks के माध्यम से वित्तीय मजबूती सुनिश्चित करना। सितंबर **2016** में स्थापित, Alignbook एक क्लाउड–आधारित अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। इसे MSMEs को अपनी इनवॉइसिंग प्रणाली को स्वचालित करने में मदद प्रदान करने हेतु डिज़ाइन किया गया था।
- **सरकार की नीतियों को मजबूत करना:** उद्योग संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने सरकार को निम्नलिखित सिफारिशें की है:
  - **सेंट्रल मार्केट इंटेलिजेंस सेंटर की स्थापना करना:** यह निकाय MSMEs द्वारा आयात की जाने वाली वस्तुओं को घरेलू विनिर्माण से प्रतिस्थापित करने का कार्य करेगा।
  - **प्रमाणन में आसानी:** क्षेत्रीय MSMEs को परीक्षण और प्रमाणन में रियायत देने के लिए मौजूदा प्रौद्योगिकी केंद्रों का उपयोग करना।
  - सूक्ष्म और लघु उद्यमों की तुलना में **मध्यम उद्यमों के लिए उनकी अलग–अलग जरूरतों के आधार पर भिन्न–भिन्न नीतियां बनाना।**

MSMEs का समर्थन करने के लिए सर्वोत्तम वैश्विक प्रथाएं

- **संयुक्त राज्य अमेरिका:**
  - स्मॉल बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन (SBA) नामक एक स्वतंत्र निकाय स्थापित किया गया है। यह लघु व्यवसायों को सहायता और उनके हितों को संरक्षण प्रदान करता है।
  - यह व्यवसायों को शुरू करने, आगे बढ़ाने, विकसित करने और रोजगार पैदा करने में मदद करता है। इसके अलावा, यह छोटे व्यवसायों का नेतृत्व करते हुए उनका पक्ष भी रखता है।
- **मेक्सिको में द नैशिओनल फाइनेंसिएरा (NAFIN) फैक्टरिंग प्रोग्राम – कॉन्ट्रैक्ट फाइनेंसिंग**
  - यह वित्तपोषण प्रदान करता है। इससे लेनदारों को नए ऑर्डर को पूरा करने के लिए कच्चा माल खरीदने में मदद मिलती है। साथ ही, यह एक उदाहरण भी पेश करता है कि डिलीवरी पूर्व वित्तपोषण प्रदान करके फैक्टरिंग को कैसे बढ़ाया जा सकता है।

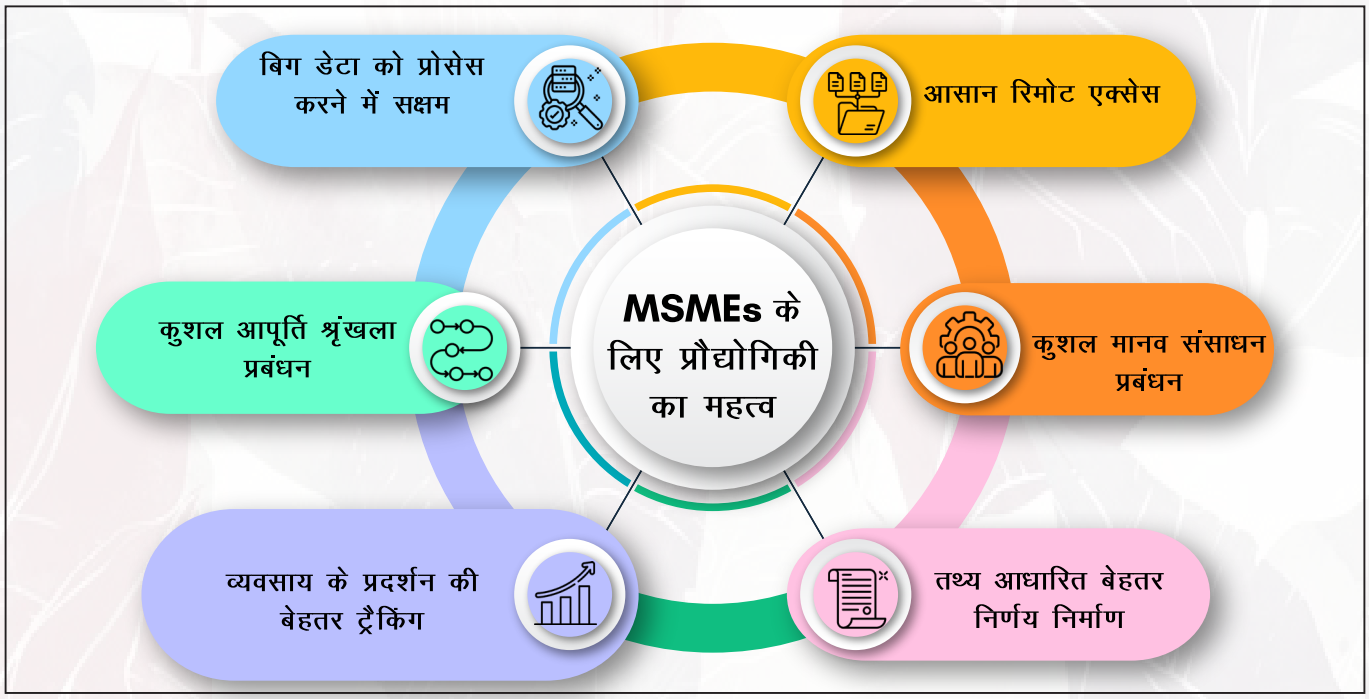

निष्कर्ष

भारत में कृषि के बाद MSMEs **दूसरा सबसे बड़ा रोजगार प्रदान** करने वाला क्षेत्र है। इसमें सालाना एक मिलियन से अधिक नौकरियां पैदा होती हैं। इसलिए, इसमें जनसांख्यिकीय लाभांश का लाभ उठाने, लैंगिक असमानता को खत्म करने और आय असमानता को कम करने की क्षमता है। यह भारत को **5** ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में भी सहायक साबित हो सकता है। हालांकि, भारत में MSMEs आर्थिक या प्राकृतिक आघातों के प्रति बहुत संवेदनशील हैं। इसलिए, इस क्षेत्र के अनुकूल रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, ताकि कोविड–**19** महामारी जैसे अप्रत्याशित आघातों का सामना करने और उनसे शीघ्र उबरने में मदद मिल सके। यह एक ऐसा बहुआयामी मुद्दा है, जिसके लिए निरंतर अनुसंधान, नवाचार, जागरूकता तथा प्रशिक्षण की आवश्यकता है। साथ ही, नीतियों को बनाते समय MSMEs की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखना चाहिए।

टॉपिक – एक नज़र में

MSMEs **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** हैं। इन्हें संयंत्र और मशीनरी में निवेश तथा वार्षिक कारोबार के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। यह वर्गीकरण सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (MSMED) अधिनियम, **2006** पर आधारित है।

भारत का MSME क्षेत्रक

GDP में MSMEs का लगभग 30% योगदान है।	MSME क्षेत्रक निर्यात में लगभग 50% का योगदान करता है।	90% व्यावसायिक उद्यम MSMEs हैं।	आधे से अधिक MSMEs का स्वामित्व सामान्य वर्ग के उद्यमियों के पास है

MSMEs का महत्व

- जमीनी स्तर के नवाचारों को समर्थन प्रदान करके **उद्यमिता के इंजन के रूप में कार्य करना।**
- बड़े स्तर के उद्योगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करके **आर्थिक आपूर्ति श्रृंखला को पूरा करना।**
- ग्रामीण क्षेत्रों में लाभकारी, गैर–कृषि रोजगार उपलब्ध कराकर **विकास के अवसरों का समान वितरण करना।**
- वंचित वर्गों जैसे– महिलाओं, SCs, ST, OBCs आदि के लिए **रोजगार पैदा करते हुए समावेशी विकास को प्रोत्साहित करना।**
- स्थानीय रूप से उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करते हुए **नए स्थानीय और कुशल पारितंत्र का निर्माण करना।**
- संधारणीय उत्पाद और प्रक्रियाओं को प्रस्तुत करके **सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायता करना।**
- **गहन प्रौद्योगिकी और तेजी से उभरते क्षेत्रों,** जैसे– अंतरिक्ष, रक्षा, आदि में देश की **भूमिका को बढ़ाना।**

MSMEs के समक्ष चुनौतियां

- शहरों में भूमि की उच्च लागत तथा ग्रामीण क्षेत्रों में जल और विद्युत की आपूर्ति की कमी से संबंधित **बुनियादी ढांचागत बाधाएं।**
- पूंजी बाजार और वित्तीय संस्थानों से पूंजी जुटाने के लिए आवश्यक ऋण प्राप्त करने संबंधी योग्यता की कमी के कारण **पूंजी तक सीमित पहुंच।**
- सौदेबाजी की कम शक्ति, थोक में खरीद की असमर्थता के कारण **आपूर्ति श्रृंखला संबंधी बाधाएं।**
- **बहुराष्ट्रीय कंपनियों से प्रतिस्पर्धा,** जो अपने आकार और व्यापार की मात्रा के मामले में बहुत बड़ी हैं।
- महिलाओं, SCs, ST, आदि जैसे वंचित वर्ग से संबंधित MSMEs के स्वामियों के समक्ष प्रणालीगत भेदभाव, रूढ़िवादिता, सामाजिक पूर्वाग्रह आदि।
- उच्च लागत, खराब बुनियादी ढांचे, अकुशल मानव संसाधन आदि के कारण **प्रौद्योगिकी को धीरे–धीरे अपनाना।**
- कराधान, श्रम कानूनों के **अनुपालन आदि से संबंधित चुनौतियां।**
- **परिचालन संबंधी चुनौतियां, जैसे–** सीमित प्रबंधकीय संसाधन, अपर्याप्त विपणन, संसाधनों का अकुशल उपयोग, खराब गुणवत्ता वाले उत्पाद आदि।

MSMEs के लिए भारत सरकार की हालिया पहलें

- **समग्र प्रदर्शन और गुणवत्ता में सुधार:**
  - MSMEs **के प्रदर्शन को बेहतर और तेज़ करना** (RAMP): यह विश्व बैंक से सहायता प्राप्त केंद्रीय क्षेत्र की योजना है।
  - **संशोधित** जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट (ZED) **सर्टिफिकेशन स्कीम।**
- **वित्त तक पहुंच: जमानत मुक्त ऋण, 59 मिनट लोन पोर्टल आदि।**
- **बाजारों तक पहुंच:** सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को अनिवार्य रूप से अपनी कुल खरीद का 25% MSMEs से खरीदना अनिवार्य है। साथ ही, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग योजना, विपणन सहायता योजना भी आरंभ की गई है।
- **अपग्रेडेशन: 15** नए टूल रूम स्थापित किए गए हैं और **18** मौजूदा टूल रूम को अपग्रेड किया जा रहा है।
- **ईज ऑफ डूइंग बिजनेस: कम्प्यूटरीकृत यादृच्छिक तरीके (Randomized) से आवंटन** के द्वारा यादृच्छिक निरीक्षण, पर्यावरण मंजूरी और प्रमाणन बोझ को कम करना।

आगे की राह

- **क्लस्टर आधारित विकास को प्रोत्साहित करना:** इससे बुनियादी ढांचे की बाधाओं और कच्चे माल की समस्याओं को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी।
- **अनुकूल विनियामक पारितंत्र का निर्माण:** अनुपालन संबंधी आवश्यकताओं को व्यवस्थित करना, क्षेत्रों के लिए डेटा तैयार करना, वंचित वर्गों के समक्ष अतिरिक्त बाधाओं की जांच करना आदि।
- **वित्तीय और प्रबंधन सहायता:** नकदी प्रवाह–आधारित ऋण, SME वित्त कंपनियों की स्थापना और स्वैच्छिक प्रबंधन प्रशिक्षण।
- **विपणन संबंधी सहायता:** नवाचार के विपणन पक्ष को सुगम बनाना तथा सूचना तक पहुंच प्रदान करने के लिए मौजूदा प्रौद्योगिकी केंद्रों का उपयोग करना। 'कंसोर्टिया फॉर्मेशन', 'ब्रांड बिल्डिंग' आदि जैसी योजनाओं को मजबूत करना।
- **प्रौद्योगिकी के प्रयोग को प्रोत्साहित करना:** इससे संचालन में आसानी होगी और उनके प्रदर्शन में सुधार होगा।
- **सरकार की नीतियों को मजबूत करना:** सेंट्रल मार्केट इंटेलिजेंस सेंटर की स्थापना करना, सुगम प्रमाणन सुनिश्चित करना, सूक्ष्म और लघु उद्यमों की तुलना में मध्यम उद्यमों के लिए उनकी अलग–अलग आवश्यकताओं के आधार पर भिन्न–भिन्न नीतियों का निर्माण करना आदि।